भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, ग्वालियर केम्प उज्जैन (म.प्र.) ⑦

निग – 2784 – पीबीआर-16

प्रकरण क्रमांक /2016 पुनरीक्षण

(23)

श्री राहुल बैरागी अभि० द्वारा अजैन्डेन्स पर प्रस्तुत 12.8.16

1– गंगाधर पिता श्री हमीरसिंहजी,

2– बापूलाल पिता श्री कुंवरजी,

3– केशरसिंह पिता श्री कुंवरजी,

4– मोहनलाल पिता श्री कुंवरजी,

5– कृष्णाबाई पिता श्री कुंवरजी,

6– पिंगलबाई पिता श्री कुंवरजी,

7– पूरणसिंह पिता श्री गंगाधरजी

8– प्रेमबाई पिता श्री कुंवरजी,

9– हुकुमसिंह पिता श्री बापूलालजी

10– जगदीश पिता श्री बापूलालजी,

11– रूपसिंह पिता श्री जगन्नाथजी,

12– ज्ञानसिंह पिता श्री जगन्नाथजी,

13– ममताबाई पिता श्री जगन्नाथजी,

14– ललताबाई पिता श्री जगन्नाथजी,

15– अवंतिबाई पिता श्री जगन्नाथजी,

16– राजेश पिता श्री केशरसिंहजी,

17– पंकज पिता श्री केशरसिंहजी,

18– नितेश पिता श्री केशरसिंहजी,

19– देवराज पिता श्री मोहनलालजी,

20– राहुल पिता श्री हुकुमसिंहजी,

21– कपिल पिता श्री जगदीशजी, समस्त निवासीगण–ग्राम भादाहेड़ी तहसील शुजालपुर जिला शाजापुर (म.प्र.)

–––आवेदकगण

विरूद्ध

1– जोरावरसिंह पिता श्री दरियावसिंहजी,

2– रेशमबाई पति श्री जोरावरसिंहजी,

निरंतर....2

3– शिवनारायण पिता श्री जोरावरसिंहजी,
निवासीगण–ग्राम भादाहेड़ी तहसील
शुजालपुर जिला शाजापुर (म.प्र.)
4– मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर
महोदय, जिला शाजापुर (म.प्र.)
———अनावेदकगण

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

न्यायालय संभाग आयुक्त महोदय, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा प्रार्थीगण के आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 52 म.प्र. भू–राजस्व संहिता को निरस्त किये जाने के विरूद्ध पुनरीक्षण याचिका।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2784–पीबीआर/16 जिला शाजापुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
6–12–2016	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आयुक्त के आदेश की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । यह निगरानी आयुक्त के जिस आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें आयुक्त द्वारा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत स्थगन आवेदन पत्र निरस्त किया गया है । स्थगन देना अथवा नहीं देना पीठासीन अधिकारी के विवेक पर निर्भर है, और उनके द्वारा प्रकरण की परिस्थितियों के अनुरूप स्थगन के संबंध में निर्णय लिया जाता है । अतः आयुक्त के आदेश में हस्तक्षेप किया जाना विधिसंगत नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	